विश्राम कक्ष प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय/अध्यक्ष परचेज समिति सम्भल स्थित चंदौसी।

दिनांक–27.02.2020

श्री विरेक अग्रवाल नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय सम्भल स्थित चंदौसी के पत्र दिनांक–19.02.2020 जिसके द्वारा काटरेज 30ए.50, अदद,काटरेज 88ए,04 अदद, जे.के. कोपीर एफ एस 21.5X 34 से.मी. 70 रिम, बोस 620 डब्लू एयर ब्लोवर 01 अदद, 05 पिन इलेक्ट्रिक 20 अदद व आर. जे 45 लेन कैबिल 50 अदद क्रय करने के बावत याचना की गयी है, पर जनपद न्यायाधीश महोदय ने अपने आदेश दिनांक 25.02.2020 के द्वारा परचेज समिति को अपनी आख्या देने हेतु आदेशित किया है।

पत्र के साथ मा0 उच्च न्यायालय की सी.पी.सी. कोर्ट प्रोजेक्ट के ई–मेल दिनांक 14.02.2020, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय ने उ0 प्र0 के 74 जिलों जिनमें जनपद सम्भल भी अंकित है,वित्तीय वर्ष 2019–2020 हेतु प्रीमरली यूनिट 47 मेन्टीनेन्स आफ कम्प्यूटर एंड परचेज आफ स्टेशनरी के मद के तहत 56100/रूपये का बजट उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। पत्र में यह भी उल्लिखित है कि बजट आवंटन पत्र शीघ्र ही जनपद को प्रेषित किया जायेगा।

मेरे द्वारा कम्प्यूटर से सम्बन्धित सामिग्री क्रय करने हेतु कोटेशन आमंत्रित होने है।

अतः नोडल अधिकारी के पत्र दिनांकित 19.02.2020 में उल्लिखित कम्प्यूटर से सम्बन्धित सामिग्री क्रय करने हेतु कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं, कोटेशन 04 दिन के अंदर आमंत्रित हो।

केन्द्रीय नाजिर को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश की प्रति जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें तथा आनलाइन कोटेशन भी आमंत्रित करें।

आदेश की प्रति सम्बन्धितगण को जारी हो।

Sd 27/2/2020

अध्यक्ष/ प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
सम्भल स्थित चंदौसी।